वन भूमि में परियोजना का औचित्य (Justification)

मध्यप्रदेश शासन के अधीन मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा स्टेट हाईवे एवं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (MDR) का विकास कार्य एवं उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है । जिसके अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के **हर्रई - बिजौरी मार्ग** नवीन राज्यमार्ग क्रमांक-41 **(0+000 कि.मी. से 72+731 कि.मी. कुल लंबाई – 72.731 कि.मी.)** का उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस मार्ग निर्माण में वन क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग का उन्नयन कार्य में भूमि व्यपवर्तन प्रस्तावित है । प्रस्तावित वन भूमि को परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लिए जाने का औचित्य निम्नानुसार है:-

हर्रई - बिजौरी मार्ग छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्व प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन स्थल पातालकोट, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को जोडने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है । बढते हुए यातायात को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले के छोटे कसबे एवं ग्रामों को जोड़ने के लिए अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है । इस मार्ग के एकरेखण तथा आस-पास के आदिवासी बहुल्य ग्राम मुख्य मार्ग से जुड़ जावेगा । उन्नयन कार्य इस दृष्टि से भी जरुरी है की दैनिक गुजरने वाले वाहनों को सकरे रास्ते एवं अत्यधिक घुमाव के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ।

उपरोक्त औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर इस मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु निरिक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाले मार्ग उन्नयन हेतु 6.372 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी ।

अतः उक्त मार्ग के उन्नयन हेतु वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना ही एक मात्र विकल्प है, जो वनभूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है ।

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम
छिंदवाड़ा, म.प्र.